पत्र क्रमांक 3332153/पार्ट–एक

कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7/12/99

आदेश

शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के नहर स्लूस गेट एवं जल वितरण प्रणाली के जल द्वारों का निर्माण एवं प्रदाय केन्द्रीय यांत्रिकी इकाई भोपाल द्वारा ही किया जावेगा । सुविधा एवं मितव्ययता की दृष्टि से स्लूस गेट व जल द्वारों के साइजों का विभाग द्वारा मानकीकरण किया गया है । मानकीकृत किये गये स्लूस गेट एवंज ल द्वारों का विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका "अ"

स्लूस गेट

स.क्र.	सिंचित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर)	डिस्चार्ज	स्लूस गेट की साइज (मि.मी. X मि.मी.)
1.	300	0.253	450 X 450
2.	500	0.423	600 X 600
3.	1000	0.845	750 X 900
4.	1500	1.236	900 X 1000
5.	2000	1.690	1200 X 1400

तालिका "ब"

जल वितरण प्रणाली के जल द्वार

स.क्र.	डिस्चार्ज (क्यूमेक)	जल द्वार की साइज (मि.मी. X मि.मी.)
1.	0.135 तक	300 X 300
2.	0.135 से 0.303 तक	450 X 450
3.	0.303 से 0.540 तक	600 X 600
4.	0.540 से 0.840 तक	750 X 750
5.	0.840 से 1.212 तक	900 X 900

------ (2)

परियोजना के सक्षम अधिकारी एवं बोधी संगठन भविष्य में उक्त मानकीकृत जल द्वारों के साइज के आधार पर ही सिविल स्ट्रक्चर का रुपांकन करेंगे । इसके अतिरिक्त वर्तमान में जो परियोजनाएं अपूर्ण अथवा निर्माणाधीन उनके सिविल स्ट्रक्चर का पुनः रुपांकन उक्त मानकीकृत जल द्वारों के आधार पर किये जाने की कार्यवाही करेंगे ।

संचालक केन्द्रीय यांत्रिकी इकाई, भोपाल प्रचलित आई.एस. कोड के अनुरुप उक्त जल द्वारों का रुपांकन कर जल द्वार, हाइस्टिंग व्यवस्था, एंकरेज, एम्बेडेड पार्ट्स आदि की ड्राइंग संबंधित परियोजना अधिकारियों को प्रेषित करेंगे ।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि मुख्य अभियन्ता,विद्युत/यांत्रिकी या संचालक, केन्द्रीय यांत्रिकी इकाई, भोपाल उपरोक्त आकार के जल द्वारों को निजी निर्माताओं/संस्थाओं से क्रय किये जाने के लिए भविष्य में किसी भी परियोजना अधिकारी को "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी नही करेंगे । उक्त मानकीकृत जल द्वारों के अतिरिक्त अन्य साइज के जल द्वारों की आवश्यकता हेतु मुख्य अभियंता, बोधी के माध्यम से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग की अनुमति लेना अनिवार्य होगी ।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।

सहपत्र :– शून्य ।

हस्ता.
प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग

पृ.क्रमांक 3332153/पार्ट–एक

भोपाल, दिनांक 7/12/99

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ । इस व्यवस्था से विभागीय संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए वॉछित गुणवत्ता के जल द्वार निर्मित किये जाना संभव हो सकेगा । अतः इस हेतु शासन की औपचारिक अनुमति प्रदान करने का अनुरोध है ।

2. समस्त मुख्य अभियंता ।

3. संचालक, केन्द्रीय यांत्रिकी इकाई, भोपाल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु (स.क्र. 2 एवं 3 के लिए)

सहपत्र :– शून्य ।

हस्ता.
प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, भोपाल